न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–384/2012

CIS NO. TS 460/2018

गोपाल भारती एवं अन्य...वादीगण

बनाम

चन्द्रिका राय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
08.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी सं0–02 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.05.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी सं0–02 को अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 गोपाल भारती की मृत्यु दिनांक 16.09.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी सं0–01 गोपाल भारती अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे तीन पुत्र महंथ भारती वादी सं0–04, संत भारती वादी सं0–03 तथा राजकुमार भारती उर्फ बागड भारती वादी सं0–02 एवं दो लडकी गायत्री देवी एवं सावित्री देवी को छोडकर मरे है तथा उनकी पत्नी का मृत्यु उनके जीवनकाल में ही हो चुका है। अतः वादपत्र से मृतक वादी सं0–01 गोपाल भारती का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों में उनके दोनों लडकियों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी सं0–02 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 गोपाल भारती की मृत्यु हो गई है। वादी सं0–02 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादी सं0–02 का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–384/2012

CIS NO. TS 460/2018

गोपाल भारती एवं अन्य..वादीगण

बनाम

चन्द्रिका राय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **08.01.2025**	मृत वादी सं0–01 गोपाल भारती का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में उनके दोनों लडकियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 07.02.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	